फार्म न० प० क० 11 3 फसली 1412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	श्रेणी खाता व्रत उपयोग		503	0.019	खड़िक सौं गैर		आदेश (कार्यालय जिलाधिकारी/अल्मोड़ा सं: 1660/मुकदमा-22/2023-24 दि 27-7-24					
			505	0.015	-ऐ-		राजस्व अनुभाग 2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या					
			565	0.021	धारी खेत		2173/XVIII(II)2012/18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के द्वारा					
			577	0.004	गूडरा		निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचन विभाग अधिशासी					
			606	0.010	बुगलानी		अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के					
			621	0.019	तल्ला नाली धूरा		अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के द्वारा					
			628	0.045	सिम्वार गैर		अर्पण पत्र संख्या 24/(अ०) तहसील रानीखेत आगमन/					
			629	1.168	-ऐ-		2023/24 दिनांक 19 जून 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या					
			631	1.190	-ऐ-		संस्तुति के आधार पर रानीखेत में बिल्लेख से आबेडुवा					
			642	0.009	-ऐ-		ग्राम गैरा एक पोहर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित					
			643	0.009	-ऐ-		होने वाली 1.68 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षति					
			657	0.035	-ऐ-		पूरक वृक्षा रोपण हेतु कुल 3.38 हे० सिविल					
			665	1.570	नाली		भूमि को वन विभाग के लिए ग्राम गैरा के चौर					
			677	0.026	पटो की गैर		अधियारी विनाश खतौनी खाता संख्या 10 श्रेणी 9(3)ग					
			740	0.006	गूडरा		के खेत नम्बर 629 रकबा 1.168 हे० खेत नम्बर					
			755	0.396	लगाखेत		631 रकबा 1.190 हे० खेत नम्बर 665 मध्ये रकबा					
		279/760		0.029	धारा		1.002 हे० कुल 3.360 हे० सिविल भूमि प्रशासनिक					
		470/762		0.010	कुनगुन		नियंत्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है					
	योग	41	5.301									
श्रेणी 9 का योग —		55	7.756									29-7-24
श्रेणी 10 खाते वार की अन्य अकृषिक भूमि —												अ०व० 11
श्रेणी 10 (1) जलमग्न भूमि : —												

आदेश

36

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत मे विल्लेख से अंबेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.68 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 3.36 है0 सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 271 (मु0)/तहसील रानीखेत आगणन/2023–24, दिनांक 19 जून,2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी,खसरा,नक्शा, व प्रारूप–2 पर आख्या एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/05/2023/एफ.सी./974, दिनांक 20–10–2023 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक– वृक्षारोपण के लिए ग्राम गैरा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र जैना, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि०खतौनी खाता संख्या–10 श्रेणी 9(3)ड के खेत नम्बर 629 रकवा 1.168 है0, खेत नम्बर 631 रकवा 1.190 है0, खेत नम्बर 665 मध्ये रकवा 1.002 है0 कुल 3.360 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट खुमाड़' तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 01/ जून,2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– /ग्यारह– /2023–24 दिनांक: जून,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।

3– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।

4– तहसीलदार, रानीखेत।

5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।